

(ii) उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट्स आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा रेस्तरां सेवा की आपूर्ति।”

2. स्पष्टीकरण में,-

(1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों “और “मोटर साईकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है” के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “, “मोटर साईकिल, मोटरयान और ओमनिबस” का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) विशिष्ट परिसर से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे ‘होटल की व्यवस्था’ की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।”

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1048(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. 17/2021- Central Tax (Rate)

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the notification,-

(i) in clause (i), for the words “and motor cycle;”, the words “, motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;” shall be substituted;

(ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises.”

2. In the said notification, in Explanation, -

(i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures “and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).”, the words, brackets, numbers and figures “, motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).” shall be substituted;

(ii) after item (b), the following shall be inserted namely, -

“(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 17/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 23/2017 - Central Tax (Rate), dated the 22nd August, 2017 vide number G.S.R. 1048(E), dated the 22nd August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 17/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 814(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,-

- (i) उपवाक्य (i) में, शब्दों “और मोटर साइकिल” के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक, “मोटर साइकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट्स आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा रेस्तरां सेवा की आपूर्ति।”

2. स्पष्टीकरण में,-

- (i) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों और “मोटर साइकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है” के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों, “मोटर साइकिल, मोटरयान और ओमनिबस” का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) विशिष्ट परिसर से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे ‘होटल की व्यवस्था’ की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।”

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1052 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।